International Journal of Applied Research 2020; 6(3): 35-39

**ISSN Print:** 2394-7500
**ISSN Online:** 2394-5869
**Impact Factor:** 5.2
IJAR 2020; 6(3): 35-39
www.allresearchjournal.com
Received: 28-01-2020
Accepted: 30-02-2020

**अश्वनी कुमार झा**
शोधार्थी, वाणिज्य, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

**Correspondence Author:**
**अश्वनी कुमार झा**
शोधार्थी, वाणिज्य, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

# समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम – एक परिचय

## अश्वनी कुमार झा

**सारांश**
महिलाओं और बालकों का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी से समग्र विकास की गति निर्धारित होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 30 जनवरी, 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के मामले में सरकारी कार्यों की खामियों को दूर करना तथा महिलाओं और पुरूषों के बीच समानता लाना और बच्चों पर केन्द्रित कानूत, नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों के बीच संकेन्द्रण को बढ़ावा देना है। मंत्रालय का प्राथमिक उत्तरदायित्व महिलओं और बच्चों के अधिकारों और सरोकारों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना तथा उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है।

**कुटशब्दः** समेकित बाल विकास, हिंसा, भेदभाव

**प्रस्तावना**
मंत्रालय के विजन के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरूषों के समान भागीदारी निभा सकें तथा कुपोषित बच्चों को सुरक्षित वातावरण में विकास करने और बढ़ने के सभी अवसर मिलें। मंत्रालय का मिशन हालांकि विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध नीतियों और कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं के सरोकारों को मुख्यधारा से जोड़कर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाकर तथा महिलाओं को अपने मानवाधिकारों की प्राप्ति और संपूर्ण विकास के लिए संस्थागत अैर कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
भारत सरकार ने 26 अप्रैल, 2013 को बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अंगीकार की है। यह नीति देश में सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। नीति में 18 साल की उम्र की नीचे की सभी व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। नीति के अंतर्गत बचपन को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है, जिसकी अपनी अहमियत है और इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ, बहुपक्षीय समेकित और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है।
नीति में दिए गए निर्देशों का सम्मान सरकार को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले अपने कार्यों और उपायों में आवश्यक रूप से करना होगा। नीति के अंतर्गत दिए गए कुछ प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैः प्रत्येक बच्चों को जीवन जीने का, विकास, शिक्षा, सुरक्षा और सहभागिता का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अधिकार, बच्चों से संबंधित सभी कार्यों और निर्णयों में बच्चों के हितों की प्राथमिकता और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल परिवारिक वातावरण। नीति में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को जीने, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, सुरक्षा और सहभागिता का बराबर हक है और इन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी घोषित किया गया है।
बच्चों की बहुपक्षीय, परस्पर समबद्ध जरूरतों और उनके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए नीति में शासन के सभी क्षेत्रों और स्तरों के बीच उद्देश्यपूर्ण अभिसरण और सशक्त समन्वय, सभी संबधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी, व्यापक और विश्वसनीय जानकारी का आधार, पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान और बच्चों के लिए और उनके साथ कार्य करने वाले सभी लोगों को संवेदनशील बनाने और उनके क्षमता निर्माण पर खास बल दिया गया है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना बनायी जायेगी और कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय और कार्यसमूह भी गठित किया जायेगा।

छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार के उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना वर्ष 1975 से केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित की जा रही है। बच्चों के समुचित और सम्पूर्ण विकास के लिए ये सेवाएं समवर्ती रूप से दी जाती हैं।

## समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) स्कीम

समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) स्कीम यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा विकास के लिए चलाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक है। यह स्कीम देश के बच्चों एवं धात्री माताओं के लिए एक और स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की चुनौती की जवाबी कार्रवाई है तथा वहीं दूसरी ओर कुपोषण, रूग्णता दर, कम अधिगम क्षमता व मृत्यु–दर के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमुख प्रतीक है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी 0–6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती व धात्री माताएं हैं।

## स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 0–6 वर्ष तक की आचु वर्ग के बच्चों की पोषाहारीय स्थिति एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की आधारशिला रखना
- मृत्यु–दर, रूग्णता दर, कुपोषण तथा बच्चों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों तथा कार्यान्वयन में प्रभावी समन्वयन स्थापित करना
- समुचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य तथा पोषाहारीय जरूरतों की देखभाल करने के लिए माताओं की क्षमता का विकास करना।[3]

## आई सी डी एस के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज

आई सी डी एस स्कीम में निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज दिया जाता है:

## पूरक पोषण

i) स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
ii) पेषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा
iii) प्रतिरक्षण
iv) रेफरल सेवाएं
v) रेफरल सेवाएं

अंतिम तीन सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित है तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सेवाओं का पैकेज दिए जाने की संकल्पना मुख्यतः इस सोच पर आधारित है कि यदि विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विकास समेकित ढ़ंग से किया गया हो तो समग्र प्रभाव काफी व्यापक होगा क्योंकि किसी विशिष्ट सेवा की क्षमता इसमें संबद्ध अन्य सेवाओं से प्राप्त सहयोग पर आधारित होती है।

इसलिए, स्कीम में सेवाओं की प्रदायगी को बेहतर नियंत्रण के लिए, अभिसरण आईसीडीएस स्कीम की एक प्रमुख विशेषता है। अभिसरण की व्यवस्था स्कीम में अंतःनिहित है, जो स्कीम के अंतर्गत सभी सेवाओं को प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में एक मंच प्रदान करती है।

## निधियन पद्धति

वर्श 2005–06 से पहले, पूरक पोषण की प्रदायगी के लिए राज्य उत्तरदायी होते थे और भारत सरकार 100 प्रतिशत केन्द्रिय सहायता के रूप में प्रशासनीक लागत की पूर्ति करती थी। क्योंकि अनेक राज्य संसाधनों की कमी के कारण पूरक पोषण समूंचत मात्रा में उपलब्ध नहीं करा रहे थे, अतः वर्ष 2005–06 में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय मानदंडों का 50 प्रतिशत अथवा उनके द्वारा पोषण पर व्यय की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की सहायता की जाएगी।

भारत सरकार ने वर्ष 2009–10 से केन्द्र एवं राज्यों के बीच आईसीडीएस स्कीम की भागीदारी पद्धति में आशोधन कर दिया जो इस प्रकार है:

पूरक पोषण 50:50 (एनईआर तथा 3 हिमालयन राज्यों के लिए 90:10)

आईसीडीएस (सामान्य) 60:40 (एनईआर तथा 3 हिमालयन राज्यों के लिए 90:10)

(पुनर्गठित आईसीडीएस के तहत नए घटकों सहित)

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आईसीडीएस स्कीम का 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाएगा।

वर्ष 2016–17 से आईसीडीएस स्कीम के लिए केन्द्र एवं राज्यों (विधान सभा वाले राज्य क्षेत्रों सहित) के बीच लागत भागीदारी अनुपात को पुनः निम्नानुसारन संशोधित किया गया है:

पूरक पोषण 50:50 (एनईआर तथा 3 हिमालयन राज्यों के लिए 90:10) आईसीडीएस (सामान्य) 60:40 (एनईआर तथा 3 हिमालयन राज्यों के लिए 90:10)

बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आईसीडीएस स्कीम का 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाएगा।

**तालिका 1:** वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) में आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत राशि

| क्र. सं. | राज्य | आईसीडीएस (सामान्य) | एसएनमी | प्रशिक्षण | मनरेगा के पहले चरण में निर्माण | मनरेगा के दूसरे चरण में निर्माण | आईसीडीएस के मौजूदा मानकों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण | निर्माण सहित कुल संस्वीकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 14590.85 | 31467.53 | 189.15 | 2652.00 | 501.60 | 3849.53 | 53250.66 |
| 2 | बिहार | 22377.54 | 47685.95 | 353.95 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 77617.44 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 16921.47 | 22461.93 | 156.50 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 41939.90 |
| 4 | गेवा | 458.83 | 591.45 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 1067.70 |
| 5 | गुजरात | 24625.56 | 30669.31 | 116.23 | 300.00 | 0.00 | 832.87 | 56543.97 |
| 6 | हरियाणा | 12893.84 | 5158.16 | 70.51 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 18572.51 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 8203.57 | 4662.06 | 51.76 | 144.00 | 18.00 | 0.00 | 13079.39 |
| 8 | जम्मू व कश्मीर | 13150.22 | 4035.18 | 38.50 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18123.90 |
| 9 | झारखंड | 13325.75 | 21017.48 | 114.69 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 40457.92 |
| 10 | कर्नाटक | 16235.33 | 25683.97 | 123.52 | 1800.00 | 1118.40 | 0.00 | 44961.22 |
| 11 | केरल | 10254.53 | 6901.07 | 93.15 | 600.00 | 264.00 | 0.00 | 18112.75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | मध्य प्रदेश | 31629.71 | 55779.33 | 202.34 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 | 96011.38 |
| 13 | महाराष्ट्र | 58533.84 | 22171.44 | 149.25 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 82054.53 |
| 14 | ओडिशा | 38085.80 | 25519.58 | 168.11 | 5022.00 | 378.00 | 0.00 | 69173.49 |
| 15 | प्ंजाब | 7515.52 | 2975.12 | 61.41 | 600.00 | 600.00 | 1350.00 | 13102.05 |
| 16 | राजस्थान | 17726.76 | 33045.65 | 115.57 | 1200.00 | 1200.00 | 1350.00 | 54637.98 |
| 17 | तमिलनाडु | 14000.14 | 19633.98 | 172.41 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 36806.53 |
| 18 | तेलंगना | 9654.88 | 14726.89 | 122.73 | 1200.00 | 76.80 | 0.00 | 25781.30 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 95627.23 | 156280.09 | 247.48 | 12361.20 | 549.60 | 0.00 | 265065.60 |
| 20 | उत्तराखण्ड | 12043.25 | 4649.44 | 57.53 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 19450.22 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 27805.02 | 19242.85 | 157.42 | 4200.00 | 3254.40 | 0.00 | 54659.69 |
| 22 | दिल्ली | 6560.79 | 5866.02 | 56.12 | 0.00 | | 0.00 | 12482.93 |
| 23 | पुद्दुचेरी | 590.87 | 1702.02 | 6.33 | 0.00 | | 0.00 | 2299.22 |
| 24 | अण्डमान व निकोबार | 700.54 | 131.34 | 2.69 | 0.00 | | 0.00 | 834.57 |
| 25 | चण्डीगढ़ | 269.92 | 190.49 | 2.51 | 0.00 | | 0.00 | 462.92 |
| 26 | दादर व नगर हवेली | 274.35 | 101.90 | | 0.00 | | 0.00 | 376.25 |
| 27 | दमन व दीव | 100.38 | 130.59 | | 0.00 | | 0.00 | 230.97 |
| 28 | लक्ष्वद्वीप | 59.19 | 34.16 | | 0.00 | | 0.00 | 93.35 |
| 29 | अरूणाचल प्रदेश | 4295.76 | 2119.90 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6446.84 |
| 30 | असम | 29158.46 | 17921.03 | 250.98 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 49130.47 |
| 31 | मणिपुर | 4928.86 | 500.00 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 2025.00 | 7514.75 |
| 32 | मेघालय | 4973.09 | 8283.14 | 22.53 | 711.00 | 711.00 | 1012.50 | 15713.26 |
| 33 | मिजोरम | 1999.35 | 2156.92 | 8.26 | 183.00 | 126.00 | 0.00 | 4474.13 |
| 34 | नागालैण्ड | 1925.38 | 9084.46 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11026.99 |
| 35 | सिक्किम | 768.68 | 644.34 | 6.65 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 1605.07 |
| 36 | त्रिपुरा | 4872.25 | 4010.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8911.37 |
| | समग्र योग | 527137.51 | 607235.33 | 3257.28 | 55909.20 | 18097.80 | 10436.10 | 1222073.22 |

**स्त्रोतः** वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

**तलिका 2:** आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि (स्ट्रैप्स का अनुमोदन/आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम 2016–17 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तदर्थ निर्मुक्ति) (31.12.2016 तक की स्थिति)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | पहली किस्त (रूपये लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 189.1455 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 31.176 |
| 3 | असम | 250.9785 |
| 4 | बिहार | 353.9475 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 156.4995 |
| 6 | गेवा | 1.2255 |
| 7 | गुजरात | 116.226 |
| 8 | हरियाणा | 70.512 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 51.765 |
| 10 | जम्मू कश्मीर | 38.502 |
| 11 | झारखंड | 114.6855 |
| 12 | कर्नाटक | 123.516 |
| 13 | केरल | 93.15 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 202.3365 |
| 15 | महाराष्ट्र | 149.2545 |
| 16 | मणिपुर | 60.8895 |
| 17 | मेघालय | 22.527 |
| 18 | मिजोरम | 8.26425 |
| 19 | नागालैण्ड | 17.154 |
| 20 | ओडिशा | 168.1095 |
| 21 | पंजाब | 61.4115 |
| 22 | राजस्थान | 115.5705 |
| 23 | सिक्किम | 6.64875 |
| 24 | तमिलनाडु | 172.4145 |
| 25 | त्रिपुरा | 28.55915 |
| 26 | तेलंगाना | 122.7285 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 247.479 |
| 28 | उत्तराखंड | 57.5325 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 157.416 |
| 30 | अण्डमान व निकोबार द्विपसमूह | 2.69250 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | चण्डीगढ़ | 2.51 |
| 32 | दमन व दीव | 0.00 |
| 33 | दादर व नगर हवेली | 0.00 |
| 34 | दिल्ली | 56.115 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.00 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 6.33 |
| | कुल | 3257.27225 |

**स्त्रोतः** वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

## लाभार्थियों का पंजीकरण

6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आईसीडीएस के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को पाने के पात्र हैं। यह स्कीम सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सर्वसुलभ है।

## आईसीडीएस का विस्तार

- 1975 से 4891 आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ 33 ब्लाकों (परियोजनाओं) में शुरू की गई।
- धीरे–धीरे 9वीं योजना के अंत तक इसका विस्तार 6 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ 5652 परियोजनाओं तक कर दिया गया।
- वर्तमान में, 7075 परियोजनाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। इसमें मांग पर 20000 आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रावधान भी शामिल है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत कर दिए गए हैं।

## आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी)

मंत्रालय ने 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अति कुपोषित 162 जिलों में 3.68 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) में आईडीए की सहायता से चलाई जाने वाल "आईसीडीएस प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और पोशण सुधार परियोजना" (आईएसएसएनआईपी) कार्यान्वित कर रही है। विशेष रूप से कुछ अधिका प्रभावी क्रिया–कलापों पर जोर देते हुए और कार्यान्वयन अवधि को 30 दिसंबर, 2017 तक बढ़ाने के लिए परियोजना का पुनः संरचित किया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना वर्ष 1975 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बच्चों को समुचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, बाल मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूली शिक्षा अधुरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में कारगर तालमेल तथा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के जरिये बच्चों की स्वास्थ्य व पोषाहार संबंधी जरूरतों की देखरेख के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ शुरू की गई। योजना छह साल से कम उर्म के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की अनुपूरक पोषण, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, स्कूली शिक्षा से पूर्व गैर औपचारिक शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाएं प्रदान करती है।

बच्चों के समुचित और संपूर्ण विकास के लिए ये सेवाएं समवर्ती रूप से दी जाती है। सजातीय मंत्रालयों बीच अंतर्विभागीय अभिसरण इसलिए आईसीडीएस योजना में अंतर्निहित और एकीकृत होता है। प्रारंभिक अभिसरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ होता है जबकि बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए आईसीडीएस के तहत तीन सेवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एनएचआरएम) के तहत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम के जरिये उपलब्ध करायी जाती है। पेयजल और शौचालय मंत्रालय के कार्यक्रम साफ पेयजल एवं साफ–सफाई के लिए भी आईसीडीएस का अंतर–विभागीय अभिसरणर होता है।

वर्ष 2005 तक आईसीडीएस देश की केवल 50 प्रतिशत बसावटों तक ही अपनी पहुंच बना सकी। सभी बसावटों तक पहुंच बनाने के लिए 7076 अनुमोदित परियोजनाओं में 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आईसीडीएस कार्यक्रम का तीन चरणों वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2008–09 में विस्तार किया गया। इन 7076 परियोजनाओं में से 13.74 लाख आंगनवाड़ी स्वीकृत किये गये हैं। राज्य/संघ शासन क्षेत्र बचे हुए अनुमोदित कार्यक्रमों तथा आंगनवाड़ी केन्द्र जिनके जल्द पूरे होने की संभावना है, को कार्यरत करने की प्रक्रिया में है। सर्वव्यापीकरण के बाद आंगनवाड़ी केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बसावटों को ध्यान में रखते हुए अपनी पहुंच बनाएंगे।

एकीकृत बाल विकास योजना को प्रभावी ढ़ग से लागू करने में वर्षों से सामने आने वाली प्रशासनिक और संचालन चुनौतियों को दूर करने के लिए और विभिन्न कार्यात्मक, प्रबंधन और संस्थागत रूकावटों को दूर करने के लिए सरकार ने 4 सितंबर, 2012 को एकीकृत बाल विकास योजना के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में प्रशासनिक अनुमति जारी की जा चुकी है।

अन्य बातों के अलावा सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस की प्रमुख विशेषताएं हैं: तीन साल से छोटे बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान देना, अत्यधिक कुपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण और देखरेख के लिए सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा देश के अत्यधिक बोझ वाले 200 जिलों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए परिवार के बेहतर संपर्क, देखरेख तथा पोषण संबंधी परामर्श के लिए संपर्क कार्यकर्ता का प्रावधान, 5 प्रतिशत क्रैच सह आंगनवाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पोषण परामर्शदाता का प्रावधान, बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना, विदेशी सशक्त संस्थागत और कार्यक्रम अभिसरण संस्थाओं विशेषकर जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर का गठन, सामुदायिक भागीदारी के लिये स्थानीय स्तर पर योजनाओं की लचीला बनाना, एपीपीआईपी को शुरू करना, लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार लाना, आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण और मरम्मत का प्रावधान, निगरानी प्रबंधन और सूचना प्रणाली सहित सभी घटकों के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन का आवंटन करना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण एवं इस्तेमाल, आईसीडीएस को मिशन मोड में लाना आदि और वित्तयी नियमों का संशोधन आदि

आईसीडीएस के अंतर्गत दिये गये दिा–निर्देशों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित विभिन्न श्रेणियों के लिये पूरक पोषण की लागत के मानक दिये गये हैं। पुनर्गठित आईसीडीएस में इस लागत के मानकों को संशोधित किया गया है वह इस प्रकार है:

| क्र. सं. | श्रेणी | मौजूदा मानक (16 अक्टूबी, 2008 से प्रभावित) | संशोधित लागतमानक (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति) |
|---|---|---|---|
| 1. | बच्चे (6–72 महीने) | 4.00 रू. | 6.00 रू. |
| 2 | अति कुपोषित (6–72 महीने) | 6.00 रू. | 9.00 रू. |
| 3 | गर्भवती और प्रसूता माताएं | 5.00रू. | 7.00 रू. |

सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत संशोधित दरों को अलग–अलग चरणों में कार्यान्वित किया जायेगा जिसके लिए केन्द्र और राज्यों की 50:50 प्रतिशत की भागीदारी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में यह 9:10 प्रतिशत की भागीदारी होगी।

| क्र. सं. | श्रेणी | कैलोरी (केसीएएल) | प्रोटीन (ग्राम) |
|---|---|---|---|
| 1. | बच्चे (6–72 महीने) | 500 | 12–15 |
| 2 | अति कुपोषित (6–72 महीने) | 800 | 20–25 |
| 3 | गर्भवती महिलाएं एवं प्रसूता माताएं | 600 | 18–20 |

## सारांश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 मई, 2013 का बहु राज्यीय बाह्य एकीकृत बाल विकास योजना प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) शुरू की है। यह परियोजना विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) द्वारा दिये गये ऋण से पोषित है। आईएसएसएनपी को मौजूदा आईसीडीएस को सुदृढ़ बनाकर और अधि प्रभावी व बेहतर बनाने साथ ही साथ चुनिंदा राज्यों/जिलों को प्रयोग, नवरचना और प्रायोगिक योजनाएं शुरू कर आईसीडीएस के लिए ज्यादा प्रभावी दृष्टिकोण अपनाने की इजाजत दी गई है ताकि मौजूदा याजना के तहत बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा और पोषण की स्थिति को पहले से बेहतर बनाया जा सके। इस परियोजना के चार प्रमुख घटक हैः एकीकृत बाल विकास योजना में संस्थागत और प्रणालियों का सुदृढ़िकरण, सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन संचार, प्रायोगिक बहुपक्षीय पोषण कार्रवाइयां, परियोजना प्रबन्धन, तकनीकी सहायता और निरीक्षण व मूल्यांकन। इस परियोजना को आठ राज्यों जैसे – बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के 162 जिलों में जहां अति कुपोषित बच्चे हैं, में लागू किया जायेगा। साथ ही दिल्ली और इसके आसपास शहरी योजनाएं तथा दो राज्यों ओडिशा और उत्तराखंड के चुने हुए जिलों में अभिसरण पोषण कार्ययोजनाएं प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जायेंगी।

इस परियोजना का सात वर्षों के दौरान कुल व्यय 2893 करोड़ रूपए है, जिसमें 70 प्रतिशत व्यय यानी 2025 करोड़ रूपये आईडीए की ओर से दिये गये हैं। पहले चरण में इस परियोजना पर 151.50 मिलियन डॉलर (682 करोड़ रूपये) की अनुमानित लागत आयेगी, जिसमें आईडीए की हिस्सेदारी 106 मिलियन डॉलर है। दूसरे चरण में 2211.99 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत आयेगी, जिसमें आईडीए की हिस्सेदारी 1547.90 करोड़ रूपये (344 मिलियन डॉलर) है। राज्य परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत भाग देंगे। वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना में परियोजना के लिये 146 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।

## संदर्भ


1. भारत 2015 – वार्षिक संदर्भ–ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 849
2. बाल राष्ट्रीय नीति–2013, भारत सरकार का दृष्टिकोण पत्र
3. महिला एवं बाल विकास विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
4. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 219
5. वही, पृष्ठ 220
6- समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय, बिहार की वेबसाइट & www.icdsbih.gov.in
7. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ 29
8. वही
9. वही, पृष्ठ 217–218
10. वही, पृष्ठ 30
11. वही, पृष्ठ 31
12. आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना 2004, भारत सरकार के प्रावधान
13. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ 34
14. वही, पृष्ठ 221
15. अल्पसंख्यक, कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट।